[2022] 2 एस. सी. आर 1155

/

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम

कृष्ण सीड्स प्राइवेट लिमिटेड (2021 की सिविल अपील संख्या 910)

/

अप्रैल 18,2022

[न्यायमूर्ति डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्या कांत**]**

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 -धारा 7-सीमा अधिनियम, 1963 -एस. 18 की प्रयोज्यता-चूक, कंपनी की तुलनपत्र में स्वीकृति-आई. बी. सी. के अंतर्गत कार्यवाही-सीमा-अपीलार्थी ने इस आधार पर निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया कि प्रतिवादी ने वित्तीय ऋण का भुगतान करने में चूक की-चूक की तारीख का उल्लेख 10.06.14 के रूप में किया गया था, जब प्रतिवादी के खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति (एन. पी. ए.) के रूप में घोषित किया गया था-एन. सी. एल. टी. द्वारा आवेदन को यह देखते हुए सीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया था कि खाते को 10.06.14 पर एन. पी. ए. घोषित किया गया था, जबकि यू/एस.7 एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा बरकरार रखा गया आदेश-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया कि आवेदन करने का अधिकार अर्जित होने की तारीख से तीन साल के बाद 19.09.18 पर स्थापित किया गया थाःवी. पद्मकुमार में एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय

/

/

/

v. दबावग्रस्त परिसंपत्ति स्थिरीकरण कोष और एक अन्य जिस पर भरोसा किया गया था

एन. सी. एल. टी. द्वारा तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है

उच्चतम न्यायालय ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम

बिशाल जयसवाल और अन्य-आई. बी. सी. के अंतर्गत कार्यवाही के उद्देश्य के लिए योग्यता के बिना बैलेंस शीट में एक पावती पर भरोसा किया जा सकता है, जब तक कि पावती चूक की मूल तिथि से तीन साल की अवधि के भीतर थी।18, सीमा अधिनियम आई. बी. सी. के अंतर्गत कार्यवाही के लिए अलग नहीं है और लागू होता है-हालाँकि, वर्तमान मामले में चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को देखते हुए नए सिरे से निर्णय लेने के लिए एन. सी. एल. टी. को

कार्यवाही बहाल की जा रही है, इस पर तथ्यात्मक विवाद कि क्या आवेदन यू/एस. के अंतर्गत दायर किया गया है।7 आई. बी. सी. के परिणामस्वरूप सी. आई. आर. पी. की शुरुआत नहीं की जा रही है-एन. सी. एल. ए. टी. और एन. सी. एल. टी. के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है-पक्षकारों के सभी अधिकारों और तर्कों को तथ्यात्मक पहलुओं पर खुला छोड़ दिया गया है, जिन पर एन. सी. एल. टी. के समक्ष निर्णय लिया जाना है।

/

/

/

1155

1156 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

/

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी **(**इंडिया**)** लिमिटेड बनाम बिशाल जैसवाल और एक अन्य **(2021) 6** एस**.** सी**.** सी**. 366;** लक्ष्मी पट सुराना बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक अन्य **(2021) 8** एस**.** सी**.** सी**. 481;** राजेंद्र नरोत्तमदास सेठ और एक अन्य बनाम चंद्र प्रकाश जैन और एक अन्य **2021** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन

एससी **843-**पर भरोसा किया।

/

शेष नाथ सिंह बनाम बैद्यबती शेओराफुली कूप।बैंक लिमिटेड (2021) 7 एससीसी 313; देना बैंक बनाम सी. शिवकुमार रेड्डी (2021) 10 एससीसी 330; भारतीय स्टेट बैंक बनाम विभा

एग्रो टेक लिमिटेड 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1297; देवास

मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और

/

एक और 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 46; एस. वी. जी. फैशन प्राइवेट लिमिटेड।

लिमिटेड (पहले एसवीजी फैशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) बनाम रितु मुरली मनोहर गोयल और एक अन्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी

373 – संदर्भित किया गया।

वी. पद्मकुमार बनाम दबावग्रस्त परिसंपत्ति स्थिरीकरण कोष और

/

एक अन्य 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 417-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

(2021) 6 एस**.** सी**.** सी**. 366**

पर विश्वास किया

पैरा **8**

(2021) 7 एस**.** सी**.** सी**. 313**

संदर्भित

पैरा **9**

/

(2021) 8 एस**.** सी**.** सी**. 481**

पर विश्वास किया

पैरा **10**

(2021) 10 एससीसी **330**

संदर्भित

पैरा **12 (i)**

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील सं. 910

2021.

/

2020 के कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.972 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांकित 17.11.2020 के निर्णय और आदेश से।

रंजन रेड्डी, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिव्यम अग्रवाल, सुश्री फातिमा कचवाला, सुश्री पल्लवी कुमार, करण सिंह, वर्गीज थॉमस, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, मनु अग्रवाल, विनायक भंडारी, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, अधिवक्ता। प्रत्यर्थियों के लिए।

/

1157

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम कृष्ण सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ए

/

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण 1 ने 16 सितंबर 2020 के अपने निर्णय द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर 19 सितंबर 2018 2 के आवेदन को खारिज कर दिया, अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी, कथित कॉर्पोरेट ऋणदाता के खिलाफ, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 4 की शुरुआत के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 3 की धारा 7 के अंतर्गत दायर किया गया था।

/

2. प्रत्यर्थी को 30 नवंबर 2006 से अपीलार्थी से ऋण सुविधाएं प्राप्त हुईं।अपीलार्थी के अनुसार, 24 जून 2013 तक, प्रत्यर्थी को दी गई ऋण सुविधाओं के अंतर्गत बकाया कुल 1 करोड़ रुपये था।इन ऋण सुविधाओं के बदले में, प्रत्यर्थी (अन्य व्यक्तियों के साथ) ने अपीलार्थी के पक्ष में प्रतिभूतियां प्रदान कीं।प्रतिवादी कथित तौर पर इन ऋण सुविधाओं की शर्तों का सम्मान करने में विफल रहा और उनके पुनर्भुगतान में चूक की।इसलिए, अपीलार्थी के साथ प्रतिवादी के खाते को 10 जून 2014 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति 5 के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

/

/

3. इसके बाद, विभिन्न मौकों पर, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ बातचीत जारी रखते हुए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 के प्रवर्तन और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 का सहारा लेने का लक्ष्य रखा।इसके बाद, प्रत्यर्थी ने 19 जनवरी 2016 को अपीलार्थी को पत्र जारी किया जिसमें उसने अपने ऋणों के बदले में 61 करोड़ रुपये में से 6 का एकमुश्त निपटान करने की पेशकश की, जिसे अपीलार्थी ने सशर्त रूप से स्वीकार कर लिया था।हालाँकि, 18 सितंबर 2017 के एक पत्र द्वारा, प्रतिवादी ने एकतरफा रूप से ओटीएस को संशोधित कर 40.60 करोड़ रुपये कर दिया, जिसे अपीलार्थी ने अस्वीकार कर दिया था।

/

/

4. सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन तब अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर दायर किया गया था कि प्रतिवादी की ओर से लगभग 189 करोड़ रुपये (30 जून 2018 तक ब्याज के साथ गणना की गई) की राशि में वित्तीय ऋण का भुगतान करने में चूक हुई थी।चूक की तारीख 10 जून 2014 के रूप में उल्लिखित की गई थी, जब प्रतिवादी के खाते को एन. पी. ए. घोषित किया गया था।

/

1 “एनसीएलटी "

2 सीपी (आईबी) में टीपी नंबर 82/2019 नंबर 500/7 एनसीएलटी/एएचएम/2018 3 "आईबीसी"

4 “सीआईआरपी "

5 “एनपीए "

/

6 “ओटीएस "

5. सीमा के आधार पर आई. बी. सी. की धारा 7 के अंतर्गत आवेदन को खारिज करते हुए, एन. सी. एल. टी. ने कहा किः

(i) प्रत्यर्थी के ऋण खाते को 10 जून 2014 को एन. पी. ए. घोषित किया गया था, जबकि धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही 19 सितंबर 2018 को उस तारीख से तीन साल की अवधि के बाद शुरू की गई थी जिस दिन आवेदन करने का अधिकार अर्जित किया गया था; (ii) वी. पद्मकुमार बनाम दबाव के मामले में निर्णय।

/

परिसंपत्ति स्थिरीकरण कोष और अन्य 7, एन. सी. एल. ए. टी.

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि तुलनपत्र में निहित विवरण को सीमा अधिनियम 1963 की धारा 18 के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है; और

/

(iii) ओ. टी. एस. के लिए प्रस्ताव जो प्रतिवादी द्वारा 18 सितंबर 2017 को प्रस्तुत किया गया था, वह भी चूक की तारीख से तीन साल से अधिक था।

6. एन. सी. एल. टी. के आदेश को 17 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण 10 द्वारा अपील 9 में बरकरार रखा गया है।अपील में, एन. सी. एल. ए. टी. ने कहा कि सीमा की गणना सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के अनुसार की जाएगी। वर्तमान में निर्धारित प्रारूप में एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर अपीलार्थी के आवेदन में चूक की तारीख 10 जून 2014 दर्ज की गई थी।एन. सी. एल. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि चूक होने के बाद ऐसी तिथि को न तो स्थानांतरित किया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, धारा 7 के अंतर्गत आवेदन, जिसे 19 सितंबर 2018 को स्थापित किया गया था, को सीमा द्वारा वर्जित माना गया था क्योंकि यह डिफ़ॉल्ट की तारीख से चार साल से अधिक समय तक दायर किया गया था।एन. सी. एल. ए. टी. ने आगे कहा कि यह इस तरह के चूक के आधार पर था कि वित्तीय लेनदार ने 20 अक्टूबर 2015 को ऋण वसूली न्यायाधिकरण 11 का रुख किया था और एक ही ऋण के संबंध में दो चूक नहीं हो सकते थे; एक डी. आर. टी. के उद्देश्य के लिए और दूसरा आई. बी. सी. के अंतर्गत निर्णय के उद्देश्य के लिए। अंत में, एन. सी. एल. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के लिए सीमा अधिनियम की धारा 18 का सहारा उपलब्ध नहीं था।

/

/

/

7. वर्तमान अपील में, अपीलकर्ता वरिष्ठ वकील श्री रंजन रेड्डी के माध्यम से पेश हुआ है, जबकि प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान पेश हुए हैं।

/

7 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. एल. ए. टी. 417 (वी. पद्मकुमार) 8 "सीमा अधिनियम"

9 2020 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 972 10 "एनसीएलएटी"

/

11 “डीआरटी "

8. एन**.** सी**.** एल**.** टी**.** ने वी**.** पद्मकुमार **(**ऊपर**)** के निर्णय पर भरोसा किया।उपरोक्त मामले में निर्णय को परिसंपत्ति मामले में इस न्यायालय की तीन**-**न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है।

अन्य 12, जहाँ न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः“46. अतः यह स्पष्ट है कि वी. पद्मकुमार में पूर्ण पीठ का बहुमत निर्णय उपरोक्त निर्णयों के विपरीत है।न्याय का अल्पमत निर्णय (सेवानिवृत्त) ए. आई. एस. चीमा, सदस्य (न्यायिक), इनमें से अधिकांश निर्णय ों पर विचार करने के बाद, सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।इसलिए हम एन. सी. एल. ए. टी. की पूर्ण पीठ के दिनांक 12-3-2020 के बहुमत के निर्णय को दरकिनार कर देते हैं।

/

/

9. उपरोक्त निर्णय के अलावा, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सीमा अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों को शेष नाथ मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आई. बी. सी. कार्यवाही पर लागू किया गया था।

सिंह बनाम बैद्यबती शेओराफुली कूप।बैंक लिमिटेड 13.

/

10. शेष नाथ सिंह (ऊपर) में टिप्पणी आज्ञाकारी थी, लेकिन तीन न्यायाधीशों के फैसले से मामला शांत हो गया है।

लक्ष्मी पट सुराना बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मामले में इस न्यायालय की पीठ और

अन्य 14, जहाँ पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर ने कहा हैः

/

“42. विशेष रूप से, सीमा अधिनियम के प्रावधानों को संहिता के अंतर्गत कार्यवाही पर लागू किया गया है, जहां तक लागू हो सकता है।क्योंकि, धारा 238-ए भविष्यवाणी करती है कि सीमा अधिनियम के प्रावधान, जहां तक हो सके, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, एन. सी. एल. ए. टी., डी. आर. टी. या ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही या अपील पर लागू होंगे।6-6-2018 पर धारा 238-ए आई. बी. सी. के अधिनियमन के बाद, जिसकी वैधता इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई है, यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि धारा 7 आई. बी. सी. के अंतर्गत आवेदन दायर करने की सीमा सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 तक सीमित होगी और कुछ मामलों में निर्धारित अवधि का विस्तार केवल धारा 5 के अंतर्गत हो सकता है।

/

/

सीमा अधिनियम। संहिता के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही पर सीमा अधिनियम की धारा **18** के प्रभाव को बाहर करने का कोई कारण नहीं है।

12 (2021) 6 एस. सी. सी. 366 ("परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी")

13 (2021) 7 एस. सी. सी. 313 (शेष नाथ सिंह) 14 (2021) 8 एस. सी. सी. 481 (लक्ष्मी पट सुराना)

/

1160

/

[2022] 2 एस सी आर।

43. आम तौर पर, ऋण खाते/ऋण को एन. पी. ए. के रूप में घोषित करने पर उस तारीख को चूक की तारीख के रूप में माना जा सकता है ताकि वित्तीय लेनदार धारा 7 आई. बी. सी. के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर सके। हालांकि, धारा 7 तब लागू होती है जब कॉर्पोरेट देनदार "चूक" करता है।धारा 7 सचेत रूप से "चूक" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है-कॉर्पोरेट व्यक्ति के ऋण खाते को एन. पी. ए. के रूप में अधिसूचित करने की तारीख का नहीं। इसके अलावा, धारा 3 (12) में "चूक" पद को "ऋण" का भुगतान न करने के लिए परिभाषित किया गया है, जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय और देय हो गया है और ऋणी या कॉर्पोरेट ऋणी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, जैसा भी मामला हो।ऐसे मामलों में जहां निगमित व्यक्ति ने ऋण लेन-देन के संबंध में गारंटी की पेशकश की थी, ऐसे निकाय के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का वित्तीय लेनदार का अधिकार, जो एक निगमित देनदार (निगमित गारंटर) है, उस समय शुरू हो जाएगा जब प्रमुख उधारकर्ता ऋण का भुगतान न करने के कारण चूक करता है।इस प्रकार, जब प्रमुख उधारकर्ता और/या (निगमित) गारंटर एन. पी. ए. की घोषणा के बाद अपने दायित्व को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं, लेकिन उससे तीन साल की समाप्ति से पहले (क्रमिक) पावती के कारण सीमा की नई अवधि सहित, उन्हें सीमा अधिनियम की धारा 18 के प्रभाव के कारण उपार्जित नवीनीकृत सीमा से बाहर निकालना संभव नहीं है। सीमा अधिनियम की धारा 18 उस पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित लिखित स्वीकृति के क्षण को आकर्षित करती है जिसके खिलाफ धारा 7 आई. बी. सी. के अंतर्गत समाधान प्रक्रिया शुरू करने का ऐसा अधिकार सुनिश्चित करता है।की धारा 18

/

/

/

/

सीमा अधिनियम हर बार तब लागू होगा जब प्रमुख उधारकर्ता और/या कॉर्पोरेट गारंटर (कॉर्पोरेट देनदार), जैसा भी मामला हो, ऋण का भुगतान करने के लिए अपने दायित्व को स्वीकार करते हैं।हालाँकि, इस तरह की स्वीकृति, धारा 7 आई. बी. सी. के अंतर्गत

कार्यवाही की स्थापना के लिए समय-समय पर ऋण की स्वीकृति के कारण सीमा की नई अवधि सहित सीमा की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले होनी चाहिए। इसके अलावा, पावती एक दायित्व की होनी चाहिए जिसके संबंध में वित्तीय लेनदार धारा **7** आई. बी. सी. के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर सकता है।

/

/

(जोर दिया गया)

11. आई. बी. सी. के अंतर्गत कार्यवाही के उद्देश्य के लिए योग्यता के बिना बैलेंस शीट में एक पावती पर भरोसा किया जा सकता है। यह सिद्धांत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण ए के निर्णय से भी सामने आता है।

/

1161

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम कृष्ण सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ए

कंपनी (ऊपर), जिसने शेष नाथ सिंह (ऊपर) और लक्ष्मी पट सुराना (ऊपर) में निर्णयों को नोट किया।इस न्यायालय ने कहाः

“35. उपरोक्त धाराओं के अवलोकन से पता चलेगा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैलेंस शीट दाखिल करना अनिवार्य है, इसका कोई भी उल्लंघन विधि द्वारा दंडनीय है।हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि ऐसे वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न या उनका हिस्सा बनने वाले नोट धारा 134 (7) द्वारा स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त हैं।समान रूप से, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट बैलेंस शीट सहित लेखा पुस्तकों में की गई पावती के संबंध में भी चेतावनी दर्ज कर सकती है।उपरोक्त के अवलोकन से पता चलेगा कि बंगाल सिल्क मिल्स में निहित विधि का बयान, कि बैलेंस शीट तैयार करने के लिए विधि में मजबूरी है, लेकिन कोई विशेष स्वीकारोक्ति करने की कोई मजबूरी नहीं है, विधि में सही है क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि क्या किसी विशेष लेनदार के लिए बैलेंस शीट में की गई प्रविष्टि स्पष्ट है या कैविएट के साथ दर्ज की गई है, जिसे तब यह स्थापित करने के लिए मामले के आधार पर जांचना होगा कि क्या वास्तव में दायित्व की स्वीकृति दी गई है, जिससे सीमा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत सीमा बढ़ जाएगी।12. शेष नाथ सिंह (ऊपर), लक्ष्मी पट सुराना में निर्णय

/

/

/

/

(उपर्युक्त) और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (उपर्युक्त) ने बाद में

दो न्यायाधीशों द्वारा दिए गए इस न्यायालय के कई फैसलों का पालन किया गया

पीठ, अर्थात्:(i) देना बैंक बनाम सी. शिवकुमार रेड्डी 15; (ii) भारतीय स्टेट बैंक बनाम विभा एग्रो टेक लिमिटेड 16; (iii) देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य 17; और (iv) एसवीजी फैशन प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड (पहले एस. वी. जी. फैशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) बनाम रितु मुरली मनोहर गोयल और अन्य 18। उपरोक्त निर्णयों के अलावा,

/

इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ का एक और हालिया निर्णय है

राजेंद्र नरोत्तमदास सेठ और एक अन्य बनाम चंद्र प्रकाश जैन

और अन्य 19, जहां पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने कहाः

/

15 (2021) 10 एससीसी 330

16 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1297 17 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 46 18 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 373 19 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 843

/

“25. हम पहले ही यह मान चुके हैं कि प्रथम दृष्टया चूक की घटना को साबित करने का भार और संहिता की धारा 7 के अंतर्गत दायर आवेदन सीमा की अवधि के भीतर है, पूरी तरह से वित्तीय लेनदार पर है।जबकि धारा 7 के अंतर्गत एक आवेदन को स्वीकार करने का निर्णय आम तौर पर वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर किया जाता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को यह निर्धारित करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है कि ऐसा आवेदन सीमा की अवधि से परे नहीं है। निस्संदेह, वर्तमान मामले में सीमा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार विस्तार अवधि के विस्तार को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री है और संहिता की धारा 7 के अंतर्गत आवेदन

स्वीकार करने से पहले न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा ऐसी सामग्री पर भी विचार किया गया है। सीमा अधिनियम की धारा 18 की याचिका वित्तीय लेनदार द्वारा धारा 7 के अंतर्गत दायर आवेदन में नहीं उठाई गई है जो इस मामले के तथ्यों में अपीलार्थियों के बचाव में नहीं आ सकती है।यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय लेनदार पर, धारा 7 के अंतर्गत आवेदन दायर करते समय, ऋण के संबंध में प्रथम दृष्टया चूक का प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी, जो समय-बाधित नहीं है, को इसमें कम करने की मांग नहीं की गई है।वर्तमान मामले में, यदि अप्रैल, 2016 के बाद ऋण की स्वीकृति का गठन करने वाले दस्तावेजों को कॉर्पोरेट देनदार द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था, तो सीमा अवधि के विस्तार और सीमा अधिनियम की धारा 18 के आवेदन के संबंध में न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष वित्तीय लेनदार द्वारा कोई याचिका नहीं होने के आधार पर आवेदन खारिज करने के लिए उपयुक्त होता।

/

/

/

/

13. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, विधि की स्थिति को स्थिर कर दिया गया है।न तो एन. सी. एल. टी. और न ही एन. सी. एल. ए. टी. को इस न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में तथ्यात्मक विवाद पर निर्णय लेने का लाभ मिला।उभरने वाले सिद्धांत ये हैं:

/

(i) सीमा अधिनियम की धारा 18 के प्रावधान आई. बी. सी. के अंतर्गत कार्यवाही के लिए अलग नहीं हैं और लागू होते हैं; और

/

(ii) योग्यता के बिना बैलेंस शीट में एक पावती यह निर्धारित करने के लिए एक वैध आधार प्रदान कर सकती है कि क्या सीमा की अवधि बढ़ाई जाएगी, जब तक कि पावती चूक की मूल तिथि से तीन साल की अवधि के भीतर थी।

/

/

14. इस स्तर पर, हम यह भी नोट कर सकते हैं कि श्री निरंजन रेड्डी ने यह इंगित करने के लिए दस्तावेजी सामग्री पर भरोसा किया है कि दायित्व की पावती चूक की तारीख से तीन साल की

अवधि के भीतर थी और इसलिए, अपीलार्थी द्वारा आई. बी. सी. की धारा 7 के अंतर्गत दायर किया गया आवेदक सीमा के भीतर था।रिलायंस को 26 अप्रैल 2015 के पुनरुद्धार पत्र और 6 नवंबर 2015 को ओटीएस के प्रस्ताव पर भी रखा गया है। 15.चूंकि हम ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए नए निर्णय के लिए एन. सी. एल. टी. को कार्यवाही वापस करने के लिए इच्छुक हैं, इसलिए हम इस तथ्य पर विवाद नहीं कर रहे हैं कि क्या आई. बी. सी. की धारा 7 के अंतर्गत दायर आवेदन के परिणामस्वरूप वर्तमान मामले में सी. आई. आर. पी. की शुरुआत होगी।एन. सी. एल. टी. के समक्ष निर्णय लिए जाने वाले गुण-दोष पर पक्षों के सभी अधिकारों और दलीलों को खुला रखना उचित कदम होगा।

/

/

16. उपरोक्त स्पष्टीकरण के साथ, हम अपील की अनुमति देते हैं और 17 नवंबर 2020 के एन. सी. एल. ए. टी. और 16 सितंबर 2020 के एन. सी. एल. टी. के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर देते हैं।विवाद के तथ्यात्मक पहलुओं पर पक्षों के सभी अधिकारों और दलीलों को खुला रखते हुए, नए सिरे से निर्णय लेने के लिए कार्यवाही को एन. सी. एल. टी. की फाइल में बहाल कर दिया जाएगा।

/

17. चूंकि आई. बी. सी. की धारा 7 के अंतर्गत आवेदन 19 सितंबर 2018 को एन. सी. एल. टी. के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, इसलिए एन. सी. एल. टी. इस आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर इसका शीघ्र निपटान करेगा।18. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

/

दिव्या पांडे

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

/

/

/